

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2015 सत्र

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 की दैनिक कार्यसूची की अनुपूरक कार्यसूची

कार्यसूची के पद क्रमांक 7 “शासकीय विधि विषयक” के उप पद क्रमांक (2) के पश्चात् निम्नानुसार नवीन उप पद क्रमांक (3) को निम्नानुसार जोड़कर पढ़ा जाये :-

“(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे”.

उपर्युक्त उप पद जोड़े जाने के पश्चात् शेष विद्यमान उप पद क्रमांक (3) से उप पद क्रमांक (7) को पुनर्क्रमांकित कर उप पद क्रमांक (4) से उप पद क्रमांक (8) के रूप में पढ़ा जाये तथा इसके पश्चात् नवीन उप पद (9) को निम्नानुसार जोड़कर पढ़ा जाये :-

“(9) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय”.

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा